



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला कोण्डागांव (बस्तर) छ0ग0

क्रमांक/पुअ./कोण्डा./एसी/ M- 950

/2016 दिनांक 10/02/2016

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल
कोण्डागांव

विषय:- फिल्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर/डीटीसी (जिला प्रशिक्षण केन्द्र) हेतु 5.000 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में आनलाईन पंजीयन के संबंध में।
संदर्भ:- प्रकरण क्र. FP/CG/Other/8990/2014

---000---

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जिला कोण्डागांव में फिल्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर/डीटीसी (जिला प्रशिक्षण केन्द्र) निर्माण हेतु वन भूमि कक्ष क0 पी 773 में से 5.000 हेक्टेयर भूमि हेतु इस कार्यालय द्वारा आनलाईन पंजीयन किया गया है जिसमें नोडल कार्यालय द्वारा आपत्ति की गई है। उक्त आपत्ति के निराकरण की जानकारी चाही गई है जो निम्नानुसार है:-

- 1- Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the user Agency:
 - उपरोक्तानुसार संलग्न है।
- 2- Will there be any use of Forest land other than this while approaching the site and if so the same be added in the land diversion proposal. No passage will be allowed from the forest land.
 - NH 30 एवं फिल्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर/डीटीसी (जिला प्रशिक्षण केन्द्र) हेतु प्रस्तावित भूमि के बीच 12 हेक्टेयर भूमि पुलिस आवास, पुलिस लाइन एवं एसटीएफ हब के लिए प्रस्तावित है, जिसमें प्रथम चरण की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा प्राप्त हो गई है। उक्त प्रस्तावित भूमि हेतु 5.000 हेक्टेयर भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रस्तावित फिल्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर/डीटीसी (जिला प्रशिक्षण केन्द्र) भूमि स्थल में पहुंचने के लिए अतिरिक्त वन भूमि की आवश्यकता नहीं है।
- 3- The classification of forest i.e whether Reserve, Protected or Revenue Forest with area be given.
 - Protected Forest है। वनमंडलाधिकारी दक्षिण कोण्डागांव वनमंडल द्वारा प्राप्त पत्र की छायाप्रति संलग्न है।
- 4- Status of settlement of rights under the forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted
 - उपरोक्तानुसार कलेक्टर द्वारा वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र की जानकारी प्रपत्र "ब" में तैयार कर संलग्न है।

- 5- Already Jungle Warfare School exists in Kanker. So What is the Justification to open new Center here.
- शासन के आदेश क्र. एफ-3-26/2015/गृह-दो, रायपुर दिनांक 27.05.2015 द्वारा 10 नक्सल प्रभावित जिलों को डीटीसी/जिला प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई है जिसमें जिला कोण्डागांव शामिल है। उपरोक्त ट्रेनिंग सेंटर में पुलिस/सी.ए.पी.एफ.के जवानों को नक्सल समस्या से निपटने की ट्रेनिंग दी जावेगी। अतएव जिला कोण्डागांव में फिल्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर/डीटीसी (जिला प्रशिक्षण केन्द्र) हेतु 5.000 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।
- 6- Upload Scan copy of the Demand Drafts for Registration and processing fee be enclosed in the post name of Divisional Forest Officer concerned.
- संलग्न है ।
- 7- DGPS survey report in prescribe format are enclosed with Authorized seal and signature in additional information
- उपरोक्तानुसार DGPS survey report सील एवं हस्ताक्षर सहित संलग्न है ।

संलग्न:-पंजीयन हेतु ऑनलाईन अपलोड किये फाईलों की
सॉफ्ट कॉपी सीडी 01 नग एवं उपरोक्तानुसार।

Dmpa
पुलिस अधीक्षक
10/03/2016
जिला कोण्डागांव

पृ. क्रमांक/पुअ./कोण्डा./एसी/ /2016, दिनांक /03/2016

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.सं.अ.) छ0ग0 रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
2. पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त, कांकेर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ।
5. उप वनमंडलाधिकारी दक्षिण वनमंडल कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ ।

पुलिस अधीक्षक
जिला कोण्डागांव